

7. (क) भूमि समर्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के रांवंध में खरीदार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समर्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फैविल्डिंगों के निर्माण के लिये या बागों तालाबों नहरों, पूजा के रथानों या शमशान भूमियों या कद्रिरतानों के लिये, अस्थाई या रथाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा युक्ते से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाय जैसा कि सरकार उचित समझे।

अनुसूची

वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम:- 7,88,36,744/-
2. कुर्की का खर्चा:- नियमानुसार।
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा:- नियमानुसार

योग:- 7,88,36,744/-

बेची जाने वाली सम्पत्ति:- बाकीदार का अभियन्ता नगर ग्राम चौरसियावास के खसरा नम्बर 1570,1571 तहसील व जिला अजमेर में मकान नम्बर 10, रॉयल कैसल बिल्डिंग के पास, क्षेत्रफल 164.12 वर्गगज का मकान

तन्हों (लॉटो) की संख्या:-

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:- बाकीदार का अभियन्ता नगर ग्राम चौरसियावास के खसरा नम्बर 1570,1571 तहसील व जिला अजमेर में मकान नम्बर 10, रॉयल कैसल बिल्डिंग के पास, क्षेत्रफल 164.12 वर्गगज का मकान।

राजस्थान एक्ट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व:-

मूल धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा कियता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप-धारा

(3):-

क्रमांक: सखअ/अज/वसूली/2020/178

दिनांक:- 31/8/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, अजमेर।

2. तहसीलदार अजमेर।

3. DMGOMS को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञाप्ति को विभागिय वेबसाइट पर प्रकाशित करावें।

4. पुलिस थाना क्रिश्यनगंज, अजमेर को तामील कराने हेतु।

5. खनि कार्यदेशक शिवान ब्रिटो।

6. नगर परिषद अजमेर

7. श्री अरविन्द गर्ग पुत्र श्री राधेश्याम गर्ग प्रो० श्री अरविन्द मिनरल्स निवासी अभियन्ता नगर चौरसियावास रोड अजमेर

आज दिनांक 31/8/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।



2

प्रतिलिपि नियमित भूमि विवरण
खाने एवं भूमि विवरण विभाग, अजमेर.
अजमेर (राज.)